प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सी) क्रमांक 401/ 2008

याचिकाकर्ता — कमल नारायण गोस्वामी

बनाम

याचिकाकर्तागण — अखिलेश पुरी गोस्वामी एवं अन्य

निर्णय एवं आदेश की घोषणा हेतु दिनांक 18-08-2008 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सी) क्रमांक 401/2008

याचिकाकर्ता/	कमल नारायण गोस्वामी, उम्र 75 वर्ष,
आनावेदक	पिता स्व. शिव रतन पुरी, .दत्तात्रेय (प्रा.),
उत्तरदाता/	मंदिर, राजिम, रायपुर।

बनाम

उत्तरदाता/ शिकायतकर्ता	1.अखिलेश पुरी गोस्वामी
और प्राधिकारी	2. पारसपुरी गोस्वामी
	3. संतोष गिरी गोस्वामी
	4. शंकर गिरी गोस्वामी
	5. खेमराजपुरी गोस्वामी
	6. कौशल गिरी गोस्वामी
	7. गोपालपुरी
	8. महेश्वरपुरी गोस्वामी
	9. लेगनपुरी
	10. संजय गिरी गोस्वामी
	11. भंगवानपुरी.
	12. लीलापुरी.
	13. महेश्वरपुरी गोस्वामी
	14. फिनेन्द्रपुरी गोस्वामी
	15. संजयपुरी गोस्वामी
	16. के.पी. गोस्वामी
	17. काक्षीपुरी.
	18. योगेश्वरपुरी गोस्वामी

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. कामेश्वरपुरी गोस्वामी

20. रामपुरी गोस्वामी

21. शिवराजपुरी

22. संतोष गिरी गोस्वामी

याचिकाकर्ता को विवरण ज्ञात नही है

तामिली हेतु पता

द्वारा तहसीलदार, तह. राजिम, रायपुर.

23. तहसीलदार, तह. राजिम, रायपुर.

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका)
एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: श्री राजा शर्मा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री डी.एन. प्रजापति, उत्तरदाता क्रमांक 1 से 22 के अधिवक्ता ।
श्री विनय हरित उप महाधिवक्ता, राज्य/उत्तरदाता क्रमांक 23 के लिए।

(आज दिनांक 18 अगस्त, 2008 को पारित)

याचिकाकर्ता ने इस याचिका के माध्यम से तहसीलदार राजिम द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-11-2007 (अनुलग्नक-पी/1) की विधिमान्यता और वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, जिसके तहत राजिम स्थित मंदिर की सीमा के भीतर खसरा क्रमांक 42/1 क्षेत्रफल 18.110 हेक्टेयर भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 246.5**x**115= 28347.5 पर निर्माण कार्य पर 12-10-2007 को लगायी गई रोक को हटाने से इंकार कर दिया गया था।

2) याचिकाकर्ता ने इस आधार पर आक्षेपित आदेश को चुनौती दी है कि यह छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (संक्षेप में "संहिता, 1959") के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है। तहसीलदार को वादग्रस्त संपत्ति पर निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है।

3) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा ने तर्क दिया कि चूँकि यह आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए संहिता, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत इस आदेश की अपील नहीं की जा सकती। आक्षेपित आदेश कथित रूप से संहिता, 1959 की धारा 248 के प्रावधानों के अंतर्गत पारित किया गया था। उक्त प्रावधान किसी भी खाली भूमि, आबादी, सेवा भूमि या धारा 237 के अंतर्गत किसी विशेष उद्देश्य के लिए अलग रखी गई किसी भी अन्य भूमि या सरकारी संपत्ति आदि पर कब्जा लेने या उस पर कब्जा बनाए रखने के मामले में लागू होता है। भूमि याचिकाकर्ता/ट्रस्ट के वैध कब्जे में थी और निर्माण कार्य देवता के लाभ के लिए किया गया था। केवल सिविल न्यायालय को ही इस पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त है।

4) इसके विपरीत प्रतिपक्ष, श्री हरित, उप महाधिवक्ता, राज्य/ उत्तरदाता क्रमांक 23 की ओर से उपस्थित और श्री प्रजापति, विद्वान अधिवक्ता, उत्तरदाता क्रमांक 1 से 22 की ओर से उपस्थित द्वारा यह तर्क दिया गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश, संहिता, 1959 की धारा 44 के प्रावधानों के अंतर्गत उच्च राजस्व प्राधिकारियों के समक्ष अपील योग्य है। याचिकाकर्ता अधिकार क्षेत्र के गलत प्रयोग सहित किसी भी आधार पर आदेश की वैधता को चुनौती दे सकता है। वादग्रस्त संपत्ति संहिता, 1959 की धारा 248 के प्रावधानों के अंतर्गत परिकल्पित प्रतिषिद्ध भूमि थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5) मैंने संबंधित पक्षकारो की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की परस्पर विरोधी तर्कों को सुना हैं, दलीलों और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है। मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह पाया गया है कि तहसीलदार द्वारा पारित कोई भी आदेश संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपील योग्य है। यह एक सामान्य कानून है कि कोई भी पक्षकार यह निर्णय नहीं ले सकता कि आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है या

अमान्य है, जब तक कि उच्च अधिकारी यह मानते हुए उसे रद्द न कर दे कि पारित आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर था। (देखें रफीक बीबी (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम सैयद वलीउद्दीन (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि व अन्य[1] कंडिका 8 और बलवंत एन. विश्वामित्र व अन्य बनाम यादव सदाशिव मुले (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि व अन्य[2] कंडिका 9 और 20)। (इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. क्रमांक 1336/2003 राम किशोर दुबे एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य में पारित दिनांक 2 मई, 2006 का आदेश भी देखें।) संहिता, 1959 की धारा 44 इस प्रकार है:

"44. अपील और अपीलीय प्राधिकारी। (1) जहां अन्यथा उपबंधित किया गया है उसके सिवाय, इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रत्येक मूल आदेश के विरुद्ध अपील होगी---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) यदि ऐसा आदेश अनुविभागीय अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, चाहे आदेश पारित करने वाले अधिकारी को अनुविभागीय अधिकारी को कलेक्टर की शक्तियां प्राप्त हों या नहीं:

(ख) यदि ऐसा आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, चाहे

उसे कलेक्टर की शक्तियां प्राप्त हों या नहीं - कलेक्टर को;

(ग) यदि ऐसा आदेश बंदोबस्त अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है तो बंदोबस्त अधिकारी को।

---

1 (2004) 1 SCC 287

2 (2004) 8 SCC 706

(घ) यदि ऐसा आदेश किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है जिसके संबंध में धारा 12 की उपधारा (3) या धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन निर्देश जारी किया गया है - तो ऐसे राजस्व अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार निर्देशित करे।

(ई) यदि ऐसा आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया जाता है, चाहे वह कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बंदोबस्त की अवधि के दौरान - आयुक्त को;

(च) यदि ऐसा आदेश किसी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, चाहे वह बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या किसी बंदोबस्त कार्रवाई के संबंध में कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो बंदोबस्त आयुक्त को:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(छ) यदि ऐसा आदेश आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त द्वारा पारित किया जाता है तो

बोर्ड को।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रथम अपील में पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील होगी---

(i) अनुविभागीय अधिकारी या कलेक्टर द्वारा आयुक्त को;

(ii) **(ii)** बंदोबस्त अधिकारी द्वारा बंदोबस्त आयुक्त को;

(iii) **(iii)** बोर्ड को आयुक्त द्वारा---

(1) यदि प्रथम अपील में मूल आदेश को लागत के मामले के अलावा किसी अन्य कारण से परिवर्तित या उलट दिया गया है; या

(ख) निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर और किसी अन्य आधार पर नहीं, अर्थात्:---

(i) यह आदेश विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा के विपरीत है; या

(ii) आदेश विधि के किसी तात्विक मुद्दे या विधि का बल रखने वाली प्रथा का निर्धारण करने में असफल रहा है; या.

(iii) इस संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में कोई सारवान त्रुटि या दोष रहा है, जिससे मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय में त्रुटि या दोष उत्पन्न किया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) किसी आदेश में परिवर्तन करने या उसे उलटने के लिए पुनरीक्षण में पारित आदेश मूल आदेश के समान ही अपील योग्य होगा।"

6) तहसीलदार का अधिकार क्षेत्र वादग्रस्त भूमि के तथ्यों और प्रकृति पर निर्भर करता है। भूमि की प्रकृति में तथ्यों का विवादित प्रश्न शामिल है। इसलिए, इसे भी रिट अधिकार क्षेत्र में नहीं माना जा सकता।

7) वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के प्रश्न पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम गुजरात अम्बुजा सीमेंटा एवं अन्य[3] के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:

3 (2005) 6 SCC 499

17. सबसे पहले हम अपीलकर्ता राज्य द्वारा उठाए गए वैकल्पिक उपचार संबंधी तर्क पर विचार करेंगे। संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 226 में संशोधन की अवधि को छोड़कर, वैकल्पिक उपचार से संबंधित शक्ति को स्व-निर्धारित सीमा का नियम माना जाता रहा है। यह मूलतः नीति, सुविधा और विवेक का नियम है, न कि विधि का नियम। वैकल्पिक उपचार के अस्तित्व के बावजूद, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनुतोष प्रदान करना उच्च न्यायालय के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। साथ ही, इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि यद्यपि वैकल्पिक उपचार से संबंधित मामले का मामले के क्षेत्राधिकार से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी यदि पर्याप्त और प्रभावी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो, तो सामान्यतः उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वैकल्पिक उपचार का लाभ उठाए बिना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, तो उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने एक मजबूत मामला बनाया है या असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. जी. वीरप्पा पिल्लई बनाम रमन एंड रमन लिमिटेड; सीसीई बनाम डनलप इंडिया लिमिटेड; रमेंद्र किशोर बिस्वास बनाम त्रिपुरा राज्य, शिवगोंडा अन्ना पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य; सी.ए. अब्राहम

बनाम आईटीओ; टीटागुर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य; एच.बी. गांधी बनाम गोपी नाथ एंड संस; व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार; टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, शीला देवी बनाम जसपाल सिंह और पंजाब नेशनल बैंक बनाम ओ.सी. कृष्णन में, इस न्यायालय ने माना कि जहां अपील का पदानुक्रम क़ानून द्वारा प्रदान किया गया है, किसी भी पक्षकार को रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा लेने से पहले वैधानिक उपायों का प्रयोग करना होगा।"

8) यू.पी. स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम आर.एस. पांडे और अन्य[4] के मामले में उक्त अनुपात को आगे लागू करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"21. यू.पी. स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम यू.पी. राज्य सेतु निगम एस. कर्मचारी संघ मामले में, यह माना गया था कि जब विवाद क़ानून के तहत किसी अधिकार या दायित्व के प्रवर्तन से संबंधित हो और इसलिए, क़ानून के तहत विशिष्ट उपाय प्रदान किया गया हो, तो उच्च न्यायालय को सामान्य दृष्टिकोण से विचलित नहीं होना चाहिए और अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सिवाय इसके कि जब कोई बहुत मजबूत मामला विचलन करने के लिए बनाया गया हो। जो व्यक्ति ऐसे उपाय पर जोर देता है, वह क़ानून के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम कामलेकर शांताराम वाडके,

4 (2005) 8 SCC 264

राजस्थान एसआरटीसी बनाम कृष्णकांत, चंद्रकांत तुकाराम निकम बनाम अहमदाबाद नगर निगम और स्कूटर्स इंडिया बनाम विजय ई.वी. एल्ड्रेड के मामले में इसी तरह के निर्णय दिए गए हैं।"

9) रिट याचिका की स्वीकार्यता बनाम वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता की अवधारणा पर एक अन्य निर्णय में, सचिव उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट शिक्षा, इलाहाबाद एवं अन्य बनाम एच.के. लाल[5] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"4. अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दर्ज अपनी जन्मतिथि में परिवर्तन करने का उत्तरदाता को कानूनी अधिकार है या नहीं, यह प्रश्न अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। इसलिए, उत्तरदाता द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसके विरुद्ध अपील लंबित थी। रिट क्षेत्राधिकार विवेकाधीन क्षेत्राधिकार है और यदि कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो तो सामान्यतः इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) उपर्युक्त मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देशों में एक सामान्य सूत्र यह है कि, सामान्यतः उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यदि कोई पर्याप्त प्रभावोत्पादक वैकल्पिक उपाय मौजूद है, जहां अपील का पदानुक्रम कानून द्वारा प्रदान किया गया है, पक्षकार को रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लेने से पहले

5 (2007) 2 SCC 216

वैधानिक उपाय का उपयोग करना चाहिए, सिवाय तब जब कोई बहुत मजबूत मामला बनाया गया हो।

11) मामले के तथ्यों के आधार पर वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सुस्थापित सिद्धांत को लागू करते हुए, जिसमें याचिकाकर्ता ने तहसीलदार के आदेश को चुनौती दी है, क्योंकि उसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, इस पर भी वैधानिक अपीलीय प्राधिकारी विचार कर सकता है। सामान्य नियमों से हटकर कोई ठोस आधार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार, वैधानिक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता को देखते हुए, इस याचिका को पोषणीय न मानते हुए खारिज किया जाता है। हालाँकि, यदि याचिकाकर्ता चाहे तो उसके पास उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक मंच का सहारा लेने का विकल्प खुला है। वाद – व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Advocate Kusumlata